राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 08/2022

निर्णय दिनांक :– 30.09.2022

प्रार्थी:–

1. शेखर मीणा पुत्र छोगाराम उम्र–45 वर्ष
   जाति– मीणा निवासी– नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मिलन कुमार माहेश्वरी पुत्र चन्द्रेश कुमार माहेश्वरी उम्र–वयस्क
   जाति –माहेश्वरी निवासी– स्टेशन आमेट रोड़, आमेट जिला– राजसमन्द राजस्थान
2. सफी मोहम्मद पुत्र कासम खां उम्र– वयस्क
   जाति– मुसलमान निवासी–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान
3. तहसीलदार देसूरी वास्ते राज.सरकार(भूमिधारी)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली 1 अप्रार्थी की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 30.09.2022**

1– प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान सरकार अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी अपने ने आवेदन के साथ ग्राम–नारलाई की खाता संख्या 702 की जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076खाता संख्या नया 700 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खाते [illegible] भूमि ग्राम नारलाई के खसरा नम्बर1106, 1110 कुल रकबा 0.9500 हेक्टर [illegible] आने जाने के लिए (रास्ते की भूमि) 18 फीट चौडा रास्ता हेतु नक्शे में [illegible] स्याही से दर्शित अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 की निजी सह खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1112, 1112/2[illegible] रकबा 4.79, 2.22 हेक्टर में से माठ के किनारे–किनारे मांग की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार श्रीमाली ने वकालत नामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सख्यां 03 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/386 दिनांक 30.08.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 19.09.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

4– वकील अप्रार्थी 01 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या दो में बताया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जासूद कृषि भूमि आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1112, 1113 के उत्तरी माठ के सहारे से होकर सड़क खोबा गुडा जाने वाली खसरा नम्बर– 1246 गै.मु. सडक से मिलता है यानि 1112, 1113 के उतर दिशा में स्थित मात्र ढलान नुमा पहाड़ी खसरा नम्बर –1115 के दक्षिण पूर्वी माठ के सहारे–सहारे आवागमन हेतु पर्याप्त रास्ता खसरा नम्बर–1246 गै.मु. सड़क तक विद्यमान है। अतः प्रार्थी की खातेदारी व कब्जासूद कृषि भूमि में आवागमन हेतु पर्याप्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर पूर्व से विद्यमान है। इस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1112, 1112/2657 में से अवागमन हेतु रास्ते की गई है जो मांग गलत है व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

5– अप्रार्थी सख्या 03 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2022/1603 दिनांक 19.09.2022 के जरिये पटवार हल्का आना एवं भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम नारलाई की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1106, 1110 कुल रकबा 0.9500 हेक्टर किस्म बारानी सोयम में आवगमन के पडौस स्थित खसरा नम्बर 1112, 1112/2657 रकबा 4.79, 2.22 हेक्टर मे से रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1112 में से लम्बाई X चौडाई 12 X 5.48 मीटर = 66 वर्गमीटर, एवं खसरा नम्बर 1112/2657 में से 227 X 5.48 मीटर = 1520 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार [illegible] 9.6192/– रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 1586 [illegible] की राशि रूपये 61390/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 122780/– [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:43 IST
Reason: SelfAttested

6– बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधि[illegible]ा ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता ने

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये अन्य रास्ते विद्यमान है। लेकिन उनका कोई विवरण उनके जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया गया।

7— न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगणों की खातेदारी में से ही हैं अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम नारलाई के खसरा नम्बर 1106, 1110 कुल रकबा 0.9500 हेक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 02 की निजी सह खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1112,1112/2657 रकबा 4.79, 2.22 हेक्टर में से पूर्व दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे 289 फीट लम्बा एवं 5.48 फीट चौडा कुल रकबा 289 x 5.48 = 1586 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है इस हेतु प्रार्थी को 122780/– रूपये का अनुदान भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 को करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 289 फीट लम्बे एवं 05.48 फीट चौडे कुल रकबा 289 x 5.48 = 1586 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 122780/– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 को दिलवाया जावे। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम नारलाई खसरा नम्बर 1106, 1110 कुल रकबा 0.9500 हेक्टर किस्म बारानी सोयम आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 02 की निजी सह खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1112,1112/2657 रकबा 4.79, 2.22 हेक्टर में से पूर्व दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 289 फीट लम्बा एवं 5.48 फीट चौडा कुल रकबा 289 x 5.48 = 1586 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 को सुपुर्द होने के बाद रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)